ing to them, it by paying that, they can close the factory Sir, when you give the option to a trying judges, in our acquisitive society, the subjective predilection of the sudge will be almost inevitably in favour of the employer and not of the employee So, you are frustrating your own purpose which is to stop these closures

Sir, these are the lacunae in the Bill which will frustrate the very noble purpose the Government have in mind

SHRI DINEN BHATTACHARYA Sir. for the last one year, the same Bill that was passed by the West Bengal Consultative Committee during President's rule is who working I request the minister to actually review what is taking place in West Bengal In the case of reopening of the factories, it is found that the privileges and facilities that the workers were enjoying before closure have been taken away, even is cases where Government itself is taking over the management of the firms So, I will urge upon the minister to review it personally and not be guided by the loud speeches of the Ministers there or here

SHRIRK KHADILKAR The hon member knows that in West Bengal, a certain climate which was most unhealthy for normal running of industries was created Almost the industrial life was paralysed Since the new reg me has taken over-I can give facts and figures-the revival of industries is taking place. I am sure this Bill will help to reopen the closed undertakings

MR SPEAKER The question is

"That the Bill, as amendment be passed "

The motion was adopted

12 50 hrs.

CANTONMENT (EXTENSION OF RENT CONTROL LAWS) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) Sur. I beg to move* .

'That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Reat Control Laws) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, he taken into consideration "

राज्य समा ने इस बिल को पास कर दिया है। यह इतना सीधःसादा बिस्त है कि इस पर बहुन ज्यादा बहम की जरूरत नहीं है। संविधान के अनुसार छावनियों में मकानों के किराये और मकान-मालिको और किरायेदारो के सम्बन्ध नियन्त्रित करने के लिए कान्न केवल पार्लियामेट ही बना सकती है। लेकिन सविधान के लाए होने से पहले बहा प्रदेशों के कानन लाग हुआ करते थे। सविधान के लाग होने के बाद पालियामेट ने यह कानन पास कर दिया कि अगर मरकार चाहे, तो वह उन कानुनो को छावनियों में लाग कर दे। वैसा ही किया गया। लेकिन सूत्रीम कोर्ट ने एक फैसले मे कहा कि यह अधिकार मिफ पालियामेट को ही है और पहले के जो कानन थे, उनको लागू करने के लिए खास तौर से कहा गया। वह भी कर दिया गया है। वे भविष्य के लिए लाग किये गये है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल पैदा हुए कि उसके पहले जो बहुत से मामले कवहरियों मे थे, या जिनके फंसले हो चुके थे अगर उनको सुरक्षा न दी गर्ट, तो बहुत से किरायेदारों को बहुत परेशानी उठानी पहेगी। इसिंगए ऐसा इन्तजाम करना पड रहा है कि जब से 1950 से सविधान अमल मे आपया, तब से इस कानून की लगा हुआ समझा जाये, जिससे सभी छावनियो मे किरायो और मकान-मालिको तथा किरायेदारो के सम्बन्ध नियन्तित किये जा सकें।

इस बिल पर बहुत ज्यादा बहुस की गुजाइश नहीं है। मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा, ताकि विरायेदारी को राहत मिल सके।

MR SPEAKER Motion moved

"That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Act, 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration "

[&]quot;Moved with the recommendation of the President

SOMNATH CHATTERJEE SHRI (Burdwan): Mr. Speaker, this is no doubt an macchous Bill which has become n cestary because of the judgment of the Surreme Court delivered in 1970. It was dec ded by the Supreme Court that, so for as regulation of housing ecommodation is concerned, including rent control legislation, the State Government could not by 10 ification extend the State laws to the car tonment creas. One thing which immediately arises is why private acc n mdation, or private houses, have not been kept out of the cantorment areas. This is a matter which I would request the Minister to take note of and give some consideration why any special privileges or faciliti s will have to be given to private houses within the cantoninent areas.

Secondly, so far as the drafting of the Bill is concerned, I am very orry to say that it is so cumbersome that at least so far as sub-clause (3) on pag 2 is concer ed, it is very difficult to get at he real meaning. Here I may make one suggestion, because I did not get enough time to give not ce of an amendment in time. The Minister will kindly consider whether there may be some situation where this law cannot be worked out properly, as it is intended to be done. If you kindly look at sub-clause (3) on page 2, it says:

"Where any encomment in force in any State relating to the control of cent and regulation of house accommodation is extended to a contonment from a date earlier than the date on which such extension is made (hereafte, referred to as the 'earlier date'), such enactment, as in force on such earlier date, shall apply to such cantonment'

So far this is quite intelligible; then it says-

"and where any such enactment has been amended at any time after the earlier date but before the commencement of the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Amendment Act, 1972, such enactment, as amended, shall apply to the cantonment on and from the date on which the enactment by which such cantonment was made came into force."

Another continuous could arise. Outte arart from amending an Act, an Act could have been repealed and re-emected. The situation which has been contemplated here is that after the netification is issued and the extension is made effective, there may have been an earlier Act which would be treated to be an earlier Act, in force, Then, till the date of the ex ension of the notification that Act might have been amended and. therefore, the amended Ac might apply. Of e can understand that intention. But if you look at sub-clause (3), it refers to amendment of existing legislation. But suppore an earlier legislation was renealed and re-enacted; then that will not come within the cope of this clause Take the West Bengal Act. It repealed the earlier Act of 1950 and re-enacted a new legislation. So. it is not an amending legislation but an entirely new legislation. That contingency has not been thought of here in sub-clause (3) page 2.

On principle we accept this Bill It has become necessary because of the Supreme Court judgment and necessary action has to be taken. We do not want that decisions taken for all these years should be upset because of this decision of the court because that will create chaos.

So, I want the hon Minist r to give someconsideration to sub-Jause (3), whether the object of the interded legislation can be achieved by the language that his been used here and why private dwelling houses have been kept out of this. With these words, I support the Bill.

13. hrs.

श्री एस० एस० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैमा माननीय मत्री जी ने कहा है ि सुत्रीमकोर्ट के जजमेंट के बाद यह जरू त महसूस हुई कि केन्द्र की तरफ मे कोई विषेगक आए । विधेयक हमारे सामने है और मैं समऋता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसका विरोध हम लोग करें । क्योंकि मालिक मकान खास कर छावनियों में बहुत काफी एक्सप्लाय-टेजन करते है। हमने तो हर जगह देखा है, मैंने अपनी जिन्दनी की सुरुवात ही छावनी से

की थी अम्बाला कैट से. सभी जगह काफी एक्सप्लायटैसन लो। करते है. और कोई कानन न हीने से क्योंकि रैट कटोल ऐक्ट वहा लागु नहीं होता, और कोई सेंट्ल लेजिस्लेशन है नहीं तो उसका फायदा लोग उठाते हैं। तो यह कान्त तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस तरीके मे हमारे मोअजिज दोस्त सीमनाथ चेट जी ने कहा अगर माननीय मन्नी जी इसकी पढ़ें पुष्ठ 2 पर सेक्सन 3 को तो यह एक सेटेस मे जितना किला गया है, मैं ममभता है कि आज अच्छा है कि जे०सी० नेसफील्ड नहीं गहे वरम उनको इस ग्रामर को देखकर तत्वलीफ हो जाती । तो एक चीज तो यह होनी चाहिए कि जिस तरीके से ला बनाया जा रहा है, जो सेटेंस यहा रखा गया है इतना कम्बरगम है कि उसकी बाल की खाल निकाल कर हो सकता है और कोई बकील या मकान मालिक दोबारा इसको सुप्रीमकोर्ट में ले जाय, तो यह न हो सके उसके लिए मैं बाब जगजीवनराम जी मे निवेदन करू गा कि वह दोबारा इस पर सोच ले। यह तो ठांक है कि हम बिल पास कर देगे। हाईकोर्ट और सुप्रीमनोर्ट अपना नाम करते है। हम अपना कम कर रहे हैं। लेकिन पूराने जम।ने मे जितने विश्वेयक बनते थे कभी उनका लण्डन हुआ नही। तो मैं आशा करता है कि हम जो यहा पास करे वह इतना सोच समभक्तर पास करें कि कोई ऐसी गुजाइश उसमे न रह जाय कि जिस । नाजायज फायदा दूसरे लोग उठा सकें।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, इस बिल का सहारा लेवर में कुछ चीजे बाबू जगबीवनराम जी से निवेदन करना चाहता है। मुझे बहुत खुशी है कि केन्टोनमेट के दारे मे उन्होंने सोचना शुरू किया है। यहाँ इस सदन में हमारे दोस्त भक्त दर्शन जी एक नान-आफिशियल बिल लागे थे 1956 में या 1959 में। उस वक्त सरदार सूरजीत सिंह मजीठिया साहब जो हिप्टी मिनिस्टर प्राफ डिफेंस थे, उन्होंने आववासन

दिया था कि एक काम्प्रीहैंसिव लेजिस्लेशन कैन्टोमेंट ऐक्ट को बदलने के लिए लाया जाएगा। क्योंकि कैंन्टोनमेट ऐक्ट अप्रेजों के जमाने का बना हआ है भीर कैटोनमैंट की हिस्टी क्या है? अध्यक्ष महोदय आपको माल्म है कि उस बक्त जबकि गोरे हमारे देश में रहा करते थे, अग्रेजो कार।जयातीवह हमेशाचाहतेथे कि उनके को ग्रफसरान है, उनकी जो आर्मी है, जिसे गोरी पल्टन हम लोग कहा करते थे वह हमेशा साधारण जनता से अलग रहे, साधारण उनता और उनका मेल मिला। न हो, इसके लिए ये केटोनमेट वने थे। लेक्ति आज हमारे देश मे ऐसा नही है। आज हमार जवान बेटे, और हमारे ही भतीजे भान्जे मार्मी मे है, उनका रिक्ता हमारे साथ है। तो मैं नहीं समझता है कि आज एक हिन्दु स्तानी और हिन्दु स्तानी मे विभाजन होना चाहिए। एक छात्रनी में रहे दुमरा उससे अलग रहे। छावनी की जरूरत है उसमे कुछ सेक्योरिटी की भी जरूरत है। लेकिन एक तो अभीन की कमी हिन्दुम्तान म आज है, जमीन के बिनरण क बारे मे हम सीमा लग'ना च हते है तो ऐसे मौके पर एक-एक के . निमेट मे सी एकड, दो सी एकड, चार सौ एवड, जमीन पडी हुई है, चाहे आप बबीना मे जाए, चाहे कानपूर चले जायें चाहे और कही चल कर देख लें। एक तरफ लोगो को रहने के लिए जगह नहीं है और दूसरी तरफ इतनी जगह पड़ी हुई है। लेकिन जब भी कोई प्रादमी कहता है कि मैं मकान बनाने के लिए तैयार ह ताकि लोग उसमे रह सके, मुझे उसकी इजाजत दी जाय तो फौरन यह आक्षेत्रक्षन कर दिया जाता है कि हो सकता है कि कभी हमारी आर्मी को अरूरत हो। अगर आर्मी को जरूरत हो तो सरकार के पास कानून मौजूद है, डी ब्याई ब्यार व मौजूद है, एमर्जेन्सी आर्डस मौजूद हैं, जब भी चाहे डिफेन्स मिनिस्ट्री हो या और कोई मिनिस्टी हो. एक्वायर कर सकती है। एक्बीजसन हो सकता है। मेरे मकान की एक्बाबर कर सकते है चाहे [की एस॰ एम॰ बनर्जी]

वह केंटोनगेट में हो या न हो सरकार की जकरत है तो एक्वायर किया आ मनता है। तो मैं नमझता हू कि उस जमीन का विनरण भी होना चाहिए। माननीय मस्त्री जी ने कुछ फैसले इसके बारे से लिए हैं। मुझे बडी खुशी हुई कि जब उन्होंने पूना में इनका जिक किया कि कम से कम उन्होंने सोचने वी तरफ वोशिश की है कि कैसे इसका समाधान हो।

बाजारों के बारे में मुझे खास तौर से कहना है। छावनियों में बाजार तरह त ह के नाम से हुआ करते रेन्ते पखाना बाजार, लालपूर्ती बाजार, इस तरह से हर जगह ये बाजार है ग्रीर उस आपजार मे पहले कीन रहा करते के ? उसमे वह रहा करते थे जा माव में खानसामा हुआ। वरते थे या नाई हआ। करते थे या भिश्ती हुआ। करते थे। लेकिन आज सब अव्हमी वहाँ रहते है। तो मै समभता है कि इन नामो को अदलना चाहिए और उसमे कुछ ऐसा होनी चाहिए कि विन लोगो ने हमारे ऊपर गोलिया चलाई 1857 में उनके नाम पर सडके नहीं होनी चाहिए। कानपूर म हम लोगोन एक फैनला कि है और हम चाहते थे कि दीपक दास जिसने अभी 1971 के पाकिरतान के साथ युद्ध में अपनी जान दी उसके नाम से सडक को पास किया। केटोनमेट मोर्ड ने पास किया, पीपूल्म रेप्रेजेन्टेटिन ने पास किया। लेकिन उस पर भी कहा कि जब तक सेटल गवनमेट फैमला नहीं द देगी तब तक यह नहीं होगा। तो जब हम यहाँ की तमाम स्टेब्ब की हट।ने जा रहे है और उनके बदले में की लोग जिन्होने भपनी आहति दी, जिन्होने देश मे आजादी का झड़ा लहराया, उनकी स्टेबज लगाने जारहे है, तो मैं समझना हु कि जन सहको का नाम भी बदला जाना चाहिए। मैं आबा इस बिल का समर्थन करते हुए श्री जगजीवन राम जी से जो केवल सूरका मंत्री ही नहीं हैं बह्नि देश के उन नेताओं में से है जिल्होंने छाफी संघर्ष किया है आजादी की लढ़ाई में और

बाजाबी लाए हैं, उनसे मैं निवेदन क्या कि वह डिफेंग मिनिस्टर रहते रहते इस काम की कर जाए वरना बाद में किर नहीं होगा। एक कर्माहिन आफिसर जब भी चाहे बहा के रेम्रेजेन्टेटिक्स को कह मनता है कि बामने फ़ैसला गलत निया है। मुफ्ते माद हैं एक बफा बहां के चुने हुए नुमाइदों ने फैंमला लिया था तो उस वक्त के कर्माहर ये कर्नल बास्मसन, जो अब नहीं है, उनको निकाल दिया गया था नौकरी से क्रणामनन साहब के जमान में उन्होंने उस पर लिखा था:

"Joint representation by the members of the Cantonment Board-I consider this to be a mutiny."

एलेक्टेड रेप्रेजे-टेटिब्ज के रेप्रजेन्टेशन के लिए यह उनका कहनाथा।

तो यह पूराने कानून जो थे, मैं समझता ह कि अ ज हमारी बेना में हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे है और जब हम हिन्दुस्तान मे पीपुल्स आर्भी के नाम में उमको पुकारने की बात कर रहे है, ऐसे मौके पर वह सड़े गल कानुन जो अग्रेजो ते बनाये थे और जो हिन्दुस्तानी को हिन्दस्तानी से बाँटा जाय, अग्रेजो को सुविधा दी जाय, ग्रलग रखा जाय इसके लिए बने बे, उ का अन्त होना चाहिए और मैं बाब् जगजीवन राम जी से इसका आक्ष्यामन चाहता हाके वह इस बात की बनाए कि वह सड़े गरे कान्त केटोनमेट के दूर होगे और अगले सेशन मे हो, या इसरे सेशन में हो, वम से कम उसके लिये ऐसा कानन लाएगे जिसमे ईनोकैटाइजेशन इसका हो सक और एम्प्लाईज को भी श्रहलियत मिल सके।

एप्लाईज भी आधा तीतर आधा बटेर की तरह से हैं, उनको मालूम नही कि अह हैं क्या ने वह गवनंमेट एम्प्लाई भी नहीं हैं, डिफॉस एम्प्लाई भी नहीं हैं...

स्थास महोस्य . इस विल का स्कीप रैड

रेन्द्रिक्शन सक मा) वहाँ से बढ़ाकर नाम तक ले आए और फिर अब एम्प्ल-ईब पर बले गए। कल को नोई देखेगा तो आपको कुछ नही कहेगा मुझे कहेगा कि यह भी बैठे हुए थे। तो स्कॉप बढाते-बढाते वहा तक में जाएगे ?

भी एस० एम० बैनऔं: काफी स्कोप मैंने बढ़ा लिया। अब मैं बैठ जाता हु।

अध्यक्ष महोदय बाते अच्छी करते हैं लेकिन इसमें वह नहीं आती।

भी आरः वीः वहे (खरगोन) : अध्यक्ष महोदय, कैन्टोनमैंट (एक्पदेशन आफ न्ट कन्टोल लाज) अमेडमेट बिल, 1972 हाउस के सामने विचार। यं भाया है और इस पर इसी वास्ते मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हू कि इसमें जो हमारे यहां गह कैन्टोनमैंट है इन्दौर के पास उमना विशेष रूप से उल्लेख है।

इसमे दिया है

"Ary law relating to the control of rent and regulation of house rccommodation fcrce in the ın cantonment of Mhow immediate'y before the commencement therein of the Madhya Bharat Accommodation Control Act, 195, shell be, and shall be deemed always to have been, extended to that cantonment under section 3 of this Act with effect from the commencement of such law in that cantonment or from the commencement of this Act, whichever is late,"

अब मह कैंग्टोनमेन्ट क बारे में मुझे कुछ कहना है। मह कैन्टोनमेन्ट मे अभी भी इन्फैन्टी नोस चलता है और नाभी गिलिटी भी है। यह जगह इन्दीर के पास है। अ ग्रेज इस जगह को स्वर्ग समझते थे. इसको अलग रखते थे. जैसे हम दानव है और वे ईम्बर हैं, लेकिन अब स्वतन्त्रता के बाद इसकी क्या करूरत है। वहा एक महु एरिया है जिसकी विलेज एरिया कहते है, क्षवं वह सिटी एरिया बन नया है और उसकी एक नगरशिकका भी है

SHRI JAGJIVAN RAM . All this is beyond the scope of the Bill.

भी प्रारं की वड़े अब जो एक्ट आप लाने जा रहे है, मेरा यह कहना है कि यह इतनी देर से नारे जाया गया।

अध्यक्ष महोदय, अभी विनिग्टर साहब ने महा कि यह वियोग्ड दी स्वीप है-मैं आप को बनलाता है कि यह कैसे स्कीप के अन्दर है। मह मे एक तो कैन्टोनमेन्ट वा ला लाग् होता है और दूसरा नगरवाकिका का लाग् होता है। मेरा कहना यह है कि जहां बगर-पालिका का रेन्ट बन्द्रोल एक्ट लागू होता है, वहा इसका एक्सटे-इन इतनी देर से क्यो किया गया। हाई कीर्ट में क्सेज गये, बहा के फेल हो गये क्यों क यह एक्ट वहा लागु नहीं था, मध्य प्रदेश का जो 1955 का कानन था, उस को ही एक्सटेण्ड करते रहे तो इतनी बेर से सरकार की नीद क्यों खुली, पहले से इम नो क्यो नहीं लया गया। मेराती कहना यह है कि कैन्गेनमेन्ट को ही आप क्यो खत्म नही कर डालते। कैन्टोनमेन्ट की कल्पना अंग्रेजो की कल्पना थी, वह साधारण समाज से उसती अलग रखना चाहते थे, आप इसको खत्म कर दे। इस प्रकार के वनुन लाने की जरूरन नहीं है।

मैं इस बिन्न का समर्थन इसिलये करना ह क्यों कि यह िरायेदारी क फैबर में है। अगर आप इसको पहले ले जाते तो हाई-कोट में जितके मुन्दमे चले और वशीलो पंर जितना पैना क्षणें हमा, वह बच भक्ता था। मुकदमी मे बक्रीली का फायदा होना है। वक्रील तो चाहते है कि मुकदमे चलते रहे, वे तो इसमे भी नुक्स निकालगे और हाई वीर्ट में माप का वह कान्त भी टिकेगा या नहीं --- इसमें मुझे गक है। इसी लिये लीग कहते हैं---

खीसा हो बन, जूता हो तग गवाह हो सग, तब आता है रग मुकदमे मे ।

[श्री आर॰ बी॰ बडे]

इस समय भी इस्दौर हाई कोर्ट में बहुत सारे मुश्दमें कैन्टोनमैस्ट के पड़े हुए हैं। चूंकि इस कानून से किरायेदारों का फायदा होगा, इस लिये में इसको सपोर्ट करता है।

श्री जगजीवन राम: मैं सदन का ज्यादा ममय नहीं लेना चाहना, चू कि मारे कैन्टोनमेन्टम की नीति का प्रश्न उठा दिया गया है, इस लिये मैं इतना कह द —

The West Bengal prem ses (Tenancy) Act as or ginally enacted in 1956 or as arrerded sub-equently would fall within sub-clause (3) of Clause 3 So, that is covered

इसके बाद भी कानून-वां लोग, ड्राफिटिंग वाले यह समझेंगे कि कुछ और संशोधन की जरूरत है तो पीछा किया जा सकता है, लेकिन इस ममय तो लोगों की यही राथ है कि जिस रूप में इम बिल को बनाया गया है, उससे सब काम हो जायगा।

जहा तक कैन्टोनमेन्ट्स का प्रश्न उठाया गया है कैन्टोनमेन्टस मे कुछ प्राइवेट लोगों के भी मकान है। जिम जमाने मे ये छावनिया बनी थी, शहरों से ये काकी दूर होती थीं, इस लिए वहा बाजार भी रखना पढता था, लोगों को भी रखना पढता था। लेकिन अब हर जगह प्राय शहरों का इतना विस्तार हुआ है कि अधिकांश स्थानों पर ये छावनिया शहर मे आ गई हैं और इन छावनियों पर केन्द्र का वाफी खर्चा होता है। करीब डेढ करोड ल्पया हम अनुदान के रूप मे देते हैं जो हमारा नुस्तान है। छावनियों से चितनी खामदनी होती है, उससे ज्यादा खर्च होता है। इस लिए कानून मे परिवर्तन की जरूरत है।

जब मैंने इस को लिया तो मैंने यह समझा कि कुछ ऐसा इन्तजाम करें कि इन छावनियों में जो सैनिक क्षेत्र हैं और जो असैनिक क्षेत्र है अपर इन दोनों में फर्क कर सकें तो यह जो सवाल उठता है कि देवीके टाइबेशन हीना चाहिये. प्रतिनिश्चियों को अधिकार होना चाहिए. में अधिक अधिकार देने के बारे में बराबर सोचा करता है। जहां हमारे क्यूबे से काम चलाना है तब तक तो ठीक रहता है लेकिन जब कभी टैक्स बढ़ाने का नवाल आना है तो चने हए प्रतिनिधियों के सामने एक धर्म-सकट पैदा ही जाता है। इस लिए यह ज्यादा अपन्छ। हागा जहां बहाँ वे कुछ इलाके की किंाल सकते हैं निकाल दे और पूरी तरह से डेमोकेश-इजेशन कर के काम वरें। तो हम ने एक टीम बैठा दी है, इस काम के लिए सम्भव है कि किस कातन के बारे में कहा गया था, उसमें कुछ देरहो जाय क्यों कि मै चाहता ह कि क्षावनियों के प्रश्न की जहां तक सम्भव हो इस तरह से निवटारा कर दिया जाय ताकि यह बरागरी का झझट मिट सके।

महु छावनी को हमे प्याना पडेगा लेकिन जैसा मैंने कहा है, अगर बाजार को अलग कर सके तो अलग कर देगे, जिससे कि जो घाटा हम को लनता जा रहा है, वह बच सके।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बहुत सीधा सा बिल है, जिस में बहस की कोई गुजाइश नहीं हैं। सबने इसका स्वायत किया है. इस लिये इसको पान किया जाय।

MR SPEAKER The question is

'That the Bill to amend the Cantonments (Extension of Rent Control Laws) Act 1957, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration''

The motion was adopted

MR SPEAKER . The question is .

"That Clauses 2 to 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clauses 2 to 4, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill. SHRI JAGJIVAN RAM: 1 beg to move;

"That the Bill be passed".

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted

13.18 hrs

SECUNDERABAD AND AURAN-GABAD CANTONMENTS HOUSE RENT CONTROL LAW (REPEAL) BILL

THE MINISTER OF DEFENEC (SHRI AGJIVAN RAM): I beg to move:

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control Law, 1949 as passed by Rajva Sabha, be taken into consideration"

इसमे भी मान्यवर सवाल ऐसा ही है कि जब हंदराबाद मारत में गामिल हुआ और वहा पर संनिक शासन था तो औरगाबाद उस वक्त हैदगबाद मे ही था. उस समय किरावेदारो और मालिको के सम्बन्धों पर नियंत्रण वरने के लिए एक बाब्न मैनिक शासन ने बनाया था। उसके बाद औरगाबाद महाराष्ट्र मे मिल गया और हैदगबाद-सिबन्दाबाद आन्ध्र प्रदेश नायम होने पर उसमे गया। वहा भी उन्होन कानन बनाया और उसको लाग कर दिया गया। इस लिए यह अच्छा समना गया कि इस नानन को खत्म कर दिया जाय, जिममें कि वही नानुन वहा पर लागु नहे। और और भारताब द में दूसरे कानृत को ओ बहां पर लागु था रखी जाय। रिपील करने के बार भी इसमे प्रबन्ध कर लिया गया है कि जो कार्यवाहिया इस के मातहत की गई है, दुरुस्त समझा जाय जिमसे इसके काम में कोई गड़बड़ी पैदान हो प्रबन्ध इस द्ब्टि से विया गया है।

मैं समझता हूँ कि यह बिक भी किरायेदारों के हक में है, इस लिये इस की पास किया जाय।

MR. SPEAKLR . Motion moved :

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderab.d and Aurangabad Cantor mer to House Rent Control Law, 1949, as passed by Raiya Sabha, be taken into consideration".

SHRI SOMNATH CHATTERIEE (Burdwan) This is also an innocuous Bill. I would only like to sibmit that by applyiig the provisions of the Bill which we have just Passed, the object of the present Bill could have been achieved and the present Bill could have been avoided, because the intention of both the Bills is the same If the intention is to apply the lo al rent control law in the Cantonments at Secunderabad and Aurangabad, that could have been achieved by the application of the Bill which we have just passed or by issuing a notification under that Bill and by allowing simplicitors the old law to lapse. I do not know why this has not been done So far as the old law is concerned which is sought to be repealed, we have no information as to how this law was against the interests of the tenants and other weaker sections. So far as this Bill is concerned, we support thus Bill and we submit only this that the notification that is intenned to be issued should be issued at the earliest so that there may not be any time

SHRI JAGJIVAN RAM. I assure that the natification will be usued very soon and there will be no time log

M'R SPEAKER. The grestion is

"That the Bill to provide for the repeal of the Secunderabad and Aurangabad Cantonments House Rent Control Law, 1949, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideratior."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER; I shall now put the clauses.